Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 जून, 2015
(12 ज्येष्ठ, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 4/संवि./अनु.309/2015 दिनांक 26 मई, 2015— हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015.	265–266
	2. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 5/संवि./अनु.309/2015 दिनांक 26 मई, 2015— हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा (संशोधन) नियम, 2015.	267–270
	3. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 6/संवि./अनु.309/2015 दिनांक 26 मई, 2015— हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015.	271–272
	4. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 7/संवि./अनु.309/2015 दिनांक 26 मई, 2015— हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015.	273–274
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2015

संख्या सा०का०नि० 4/संवि./अनु.309/2015.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, "विविध अनुभाग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"2	चालक	"(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;	पदोन्नति द्वारा:— "(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :— "(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि पहले से चालक के पद पर कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;"।

अमित झा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2015

No. G.S.R. 4/Const./Art.309/2015.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Wildlife Preservation Department, State Ministerial, Executive and Miscellaneous (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Wildlife Preservation Department, State Ministerial, Executive and Miscellaneous (Group C) Service (Amendment) Rules, 2015.
2. In the Haryana Wildlife Preservation Department, State Ministerial, Executive and Miscellaneous (Group C) Service Rules, 1998, in appendix B, under columns 1, 2, 3 and 4, under heading "Miscellaneous Section", for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"2	Driver	"(i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) should have passed the driving test, conducted by Haryana Staff Selection Commission; (iv) Hindi/Sanskrit up to matric standard or higher education; (v) should not be colour blind;	**By promotion:-** (i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) three years experience as Class III/IV post; (iv) should have passed the driving test, conducted by the department; (v) Hindi/Sanskrit up to matric standard or higher education; (vi) should not be Colour blind; (vii) should not be more than fifty years of age; **By transfer/deputation:-** "(i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) three years experience as light vehicle driver; (iv) Hindi/Sanskrit up to Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind; (vi) if not already working on the post of Driver then should not be more than fifty years of age;".

AMIT JHA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Forest Department.